

etc

प्रबंध निदेशक  
 प्रबंध निदेशक  
 दिनांक: 24/11/11

संज्ञांक: 1840  
 प्रतिनिधि: ऋणधारक/ऋण शाखा/लेखा शाखा/लेजर शाखा (कम्प्यूटर सेक्टर)/प्रमुख लेखा कार्यालय प्रशासकी को  
 सूचनाएं एवं अनुपालनाएं प्रेषित।

वापस किया जाना है।  
 उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान नैमित्तिक किस्तों अर्थात 5 वर्षों में  
 सामग्रियों की नैमित्तिक वापस कर प्रमुख लेखा कार्यालय के प्रशासकी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।  
 में निहित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सुविधा की गयी परिपक्वताओं अथवा रूप की गयी  
 स्वीकृत ऋण राशि से वसुला देह में लाभांश द्वारा परिसम्पत्तियां/सामग्रियों का कथ 30 दिनों के अन्दर

Sl. No.	Name/Father's Name & Address	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	Azmi Bari, S/o Abdul Bari, At- (Met.) Chauhatta, PO-Supplier-Vau's Bankipure, PS-Pirbahore, Dist.- Patna-800004	Wagon R VXi	4,78,437.00	2392.00	4,76,045.00

राज्य समर्पित मुख्य अल्पसंख्यक राजगार ऋण योजनांतर्गत वयन समिति से दिनांक-6.6.2013 को  
 पटना जिला के स्थानित अल्पसंख्यकों के द्वारा समर्पित क्रेडिटोन काराजाल के आधार पर  
 1 लाभक को उनके नाम के सामने अधिकतम देह में 5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर देरालिये गए ऋण  
 राशि की स्वीकृति दी जाती है। स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रारंभिक चार्ज के रूप में कटौती करने के  
 पश्चात इनके द्वारा समर्पित किये गये कोटेशन के आधार पर नीचे द्युक्त प्रारंभिक चार्ज के रूप में देरालिये गये राशि  
 सुबस्थित वाहन के आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

स्वीकृत्यादेश

संज्ञा: 1840  
 वी.एस.एम.एफ.सी., / पटना, दिनांक: 24/11/11

( Email=minocorporatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)  
 34, ब्रिटिश रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph:0612-2204975) Fax: 0612-2215994

( अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम )

बिहार स्टेट मॉडर्निजेशन कारपोरेशन लि. पटना